न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 353/2024 दायर दिनाँक 22.10.2024

वादी

1. अब्दुल रजाक पुत्र श्री नूर मोहम्मद जाति शैरानी निवासी शेरानी आबाद तहसील छोटी खाटु जिला डीडवाना–कुचामन राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अहमद अली पुत्र नूर मो.
2. लुकमान हकीम पुत्र नूर मो.
3. एमना बानू पुत्री नूर मो.
4. रफीका बानू पुत्री नूर मो.
5. रोशन बानू पुत्री नूर मो.
6. सबिना बानू पुत्री नूर मो.
7. समीना बानू पुत्री नूर मो.
8. सीदन पत्नी नूर मो.
9. साहिना बानों पुत्री मुन्नी बानु पुत्री नूर मो.
10. शबनम बानों पुत्री मुन्नी बानु पत्री नूर मो. (प्रतिवादी संख्या 10 नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक नानी प्रतिवादी सं. 8 सीदन)
11. दीन मोहम्मद पुत्र मोहम्मद बक्ष
12. सुबानी पुत्री मोहम्मद बक्ष
13. मोगा बानों पुत्री मोहम्मद बक्ष
14. मेमुना पुत्री मोहम्मद बक्ष
15. सुफिया पुत्री मोहम्मद बक्ष
16. सोनी पुत्री मोहम्मद बक्ष
17. मोती खॉ पुत्र रहमत बानों पुत्री मोहम्मद बक्ष
18. मोहम्मद शरीफ पुत्र रहमत बानों पुत्री मोहम्मद बक्ष
19. जन्नत बानों पुत्री रहमत बानों पुत्री मोहम्मद बक्ष

    समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील छोटी खाटु जिला डीडवाना–कुचामन राज.
20. तहसीलदार छोटी खाटू।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:27:36 IST
Reason: SelfAttested

दावा ब[illegible]

बंटवारा, रिकार्ड दु[illegible]धारी [illegible]थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 53,88,188 R.T. A[illegible]

उपस्थित:–

1. श्री मो. शरीफ शेरानी वकील वादी।
2. श्री मो. युनुस सलीम वकील प्रतिवादी संख्या 3 ता 19

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

—:: प्राथमिक निर्णय ::—

दिनांक 10.06.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 660 रकबा 3.2400 है. भूमि वाके सरहद शैरानी आबाद, पटवार हल्का शैरानी आबाद, तहसील खाटु खुर्द जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान में अवस्थित है। उक्त भूमि में खातेदार लुकमान व हकीम पुत्र नूर मोहम्मद का नाम इन्द्राज हो रखा है, जबकि लुकमान हकीम एक ही व्यक्ति का नाम है तथा सबीना, समीना व लुकमान हकीम बालिग हो चुके है, जिनका भी रेकर्ड दुरूस्त कर नाबालिग हटाया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा निम्न प्रकार किया गया है:—

वाके सरहद शैरानी आबाद के खेत खसरा संख्या 660 रकबा 3.2400 है. भूमि में से वादी अब्दुल रजाक के 1.0667 है. व प्रतिवादी संख्या 1 अहमद अली के 1.0666 है. व प्रतिवादी संख्या 2 लुकमान हकीम के 1.0667 है. भमि बंट व कब्जा काश्त में आई हुई है। व इसी खसरे में 0.0400 है. गै.मु. रास्ता की भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के संयुक्त रूप से बंट में आई हुई है।

प्रतिवादीगण सं. 3 ता 10 को सामाजिक रिति—रिवाज अनुसार उनका हक अदा कर दिया गया है तथा प्रतिवादी सं. 11 व 19 को ग्राम फिरोजपुरा तहसील जायल के खसरा संख्या 170/289 व ग्राम दांता तहसील जायल के खेत खसरा संख्या 29 व 30 में बंट दे दिया गया है।

उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मौखिक बंटवारा हो चुका तथा मौके पर जमीन अनुसार बंट व सिवें—निवें कायम है तथा मौके अनुसार उक्त खसरान का विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है तथा हाल ही में प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उसके हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल करने व उनके हिस्से की भूमि को किसी भू—माफिया को बैचाण करने की धमकी देने के कारण वादी को यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी, बंटवारा,रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :—

वाके सरहद शैरानी आबाद के खेत खसरा संख्या 660 रकबा 3.2400 है. भूमि में से वादी अब्दुल रजाक के 1.0667 है. व प्रतिवादी संख्या 1 अहमद अली के 1.0666 है. व प्रतिवादी संख्या 2 लुकमान हकीम के 1.0667 है. भमि बंट व कब्जा काश्त में रखी जावे व इसी खसरे में 0.0400 है. गै. मु. रास्ता की भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के संयुक्त रूप से बंट में रखी जावे। इस खसरे की भूमि में से शेष खातेदारों का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावे। प्रतिवादीगण सं. 3 ता 10 को सामाजिक रिति—रिवाज अनुसार उनका हक अदा कर दिया गया है तथा प्रतिवादी सं. 11 व 19 को ग्राम फिरोजपुरा तहसील जायल के खसरा संख्या 170/289 व ग्राम दांता तहसील जायल के खेत खसरा संख्या 29 व 30 में बंट दे दिया गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 ता 19 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। उक्त भूमि में खातेदार लुकमान का नाम खतौनी में दो जगह लुकमान अलग व हकीम अलग होने के कारण दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होने से लुकमान हकीम पुत्र नूर मो. किया जावें तथा लुकमान हकीम व खातेदार सबीना तथा समीना बालिग हो चुके है। अतः इनका भी रेकर्ड दुरस्त कर नाबालिग हटाया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि खेत खसरा संख्या 660 रकबा 3.2400 है. भूमि वाके सरहद शैरानी आबाद की भूमि में न तो स्वयं प्रतिवादीगण दखल अन्दाजी, बेचाण, हस्तान्तरण, गिरवीनामा आदि करें तथा न ही अपने किसी एजेन्ट, प्रतिनिधि आदि से करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी 1, 2 तथा 20 तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ता 19 की ओर से अधिवक्ता श्री मो. युनुस सलीम ने इकबालिया जवाब पेश किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। पक्षकारान द्वारा वाद का खण्डन नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण विधिवत बंटवारा करवाना चाहते हैं। अतः उक्त भूमि का पक्षकारान् के बीच प्राथमिक डिक्री की जाकर, तहसीलदार डीडवाना से विभाजन प्रस्ताव लिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी, प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:27:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

—:आदेश :—

मौजा शैरानी आबाद के नये खेत खसरा संख्या 660 रकबा 3.2400 है. भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार छोटीखाटू राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 पालना करते हुए, मौके पर जाकर पक्षकारान को विधिवत सूचित करते हुए वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में न्यायालय में पेश करें।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्राथमिक निर्णय आज दिनाँक **10.06.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:27:36 IST
Reason: SelfAttested